GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

*****

PC V No.55 /98
RBE No.66/98

No.E(P&A)I-98/ALL/RPF/1 New Delhi, dated :1-4-1998.

The General Managers/OSDs/CAOs,
All Indian Railways & Production Units etc.
(As per mailing lists No.I & III)

Sub : Grant of Ration Money in lieu of Ration Subsidy and Extra Duty Allowance to Non-gazetted RPF/RPSF Personnel with effect from 1st August, 1997 on introduction of revised scales of pay on the recommendations of Vth Central Pay Commission.

The Fifth Central Pay Commission vide para 70.29 recommended that *status quo in respect of Ration Money Allowance should be maintained, and that this allowance should be given to non-gazetted personnel of CISF and RPF also and the present Ration Subsidy and Food Packet Allowance should stand merged in Ration Money Allowance.*

2. The Government have accepted the above recommendations of the Commission. Accordingly, the President is pleased to decide that the non-gazetted RPF/RPSF personnel upto the rank of Inspector Gr.I (Rs.6500-10500) on the Railways shall be entitled to Ration Money Allowance @ Rs.501/- per head per month, w.e.f. 1st August, 1997.

3. The terms and conditions for the grant of Ration Money to non-gazetted RPF/RPSF personnel shall be as under :-

a) RPF/RPSF personnel will be entitled to Ration Money during leave on Average Pay at full rates for the first 60 days and at half rate for next 60 days.

b) The RPF/RPSF personnel deployed on Internal Security duty will be entitled to draw Ration Money at the full rates for a maximum period of six months only.

c) The Ration Money is exempted from the purview of Income Tax and Ration Money so drawn and paid to RPF/RPSF non-gazetted personnel should not be included in their gross salary for the purpose of working out Income Tax liability to be deducted at source.

4. Consequent on the grant of Ration Money to non-gazetted personnel of RPF/RPSF the existing Ration Subsidy @ Rs.120/- per head per month and Extra Duty Allowance @ Rs.7.50 per day will simultaneously be discontinued w.e.f. 1.8.97.

.....2/-

5. The orders being effective from 1.8.97, arrears, as may be due, may be calculated and disbursed, subject to availability of funds.

6. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

7. Please acknowledge receipt.

(K.J. Abraham)
Joint Dir, Estt.(P&A)
Railway Board.

No.E(P&A)I-98/ALL/RPF/1 New Delhi, dated :1-4-1998.

Copy (with 100 spares) forwarded to the DAI(Railways)/New Delhi.

for Financial Commissioner/Railways.

No.E(P&A)I-98/ALL/RPF/1 New Delhi, dated :1-4-1998.

Copy forwarded to :-

1. The GMs, N.F. Railway(Const), CAO, Southern Railway (Const.) and Central Railway (Const.).
2. The F.A & CAOs, All Indian Railways, Production Units, N.F. Railway (Const.) and Southern Railway(Const.).
3. The Director General, RDSO/Lucknow.
4. The General Manager and FA & CAO, Metro Railway/Calcutta.
5. The Chief Security Commissioners, All Indian Railways.
6. The Commandants, Railway Protection Special Force,
   - i) No.1. Battalion, Lumding.
   - ii) No.2. Battalion, Gorakhpur.
   - iii) No.3. Battalion, Lucknow
   - iv) No.4. Battalion, New Jalpaiguri.
   - v) No.5. Battalion, Tiruchchirapilli
   - vi) No.6. Battalion, Dayabasti, Delhi.
   - vii) No.7. Battalion, Lumding, Assam.
   - viii) No.8. Battalion, Chittaranjan.

7. The Ministry of Home Affairs, New Delhi with reference to their letter No.II-27011/93/97-PF-I, dated 27.10.97.
8. The Joint Director (Finance), RDSO, Lucknow.
9. The Pay & Accounts Officer, Ministry of Railways (Railway Board).
10. Liaison Officer, V CPC, Zonal Railways/PUs/RDSO/Metro Railway.

KJAbraham
(K.J. Abraham)
Joint Dir, Estt.(P&A)
Railway Board.

No.E(P&A)I-98/ALL/RPF/1 New Delhi, dated : 1-4-1998.

Copy forwarded to :-

1. The General Secretary, NFIR (with 35 spares).
2. The General Secretary, AIRF (with 35 spares).

The Members of the National Council (Departmental Council) and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozshah Road, New Delhi (with 90 spares).

for Secretary, Railway Board.

Copy forwarded to :-

1. The Secretary General, FROA.
2. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers' Association.
3. The President, Railway Board Class II Officers' Association.
4. The Secretary General, IRPOF.
5. The President, Indian Railway Class II Officers' Association.
6. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
7. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association.

Copy to :-

PPSs/PSs/PAs to : CRB, FC, MS, MT, ME, ML, MM, AM(S), AM(F), AM(V), OSD(A/cs), DG/RPF, EDE(IR), EDPC-I & II, IG/RPF(Hqrs.), IG/RPSF, DF(E), DEN, DPC, JD(Crime), JD(Security), JDPC-I & II, JDE(P&A), JDE(L), DDPC-III, IV, V, DDF(E)I, II & III, DDE(LR)I, II & III, DD(Security).

Cash-I, II, III & IV, Budget, E(P&A)II, E(NG)I & II, PC-III, IV & V (100 Copies), E(LR)I & II, F(E)-I , II(5 spares) & III, Security (E) and Security (ABE) (10 copies each) Branches of Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

पी .सी. V सं. 55/98
आर .बी.ई सं. 66/98

स.ई (पी.एंड ए)1-98/ऑल/आर पी एफ/1 नई दिल्ली, दिनांक 1 .4.98

महाप्रबन्धक /विकाधि/मु.प्र.अ.,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां इत्यादि
(डाकसूची I एवं III के अनुसार)

विषय:- पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर संशोधित वेतनमान लागू किए जाने के परिणामस्वरुप 1 अगस्त, 97 से रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के अराजपत्रित कर्मचारियों को राशन सबसिडी एवं अतिरिक्त ड्यूटी भत्ते के बदले में राशि भत्ता प्रदान करना ।

1. पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग ने पैरा 70.29 के अंतर्गत सिफारिश की थी कि राशन भत्ते के संबंध में यथास्थिति बनाई रखी जाए तथा इसके साथ ही यह भत्ता केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एवं रेल सुरक्षा बल के अराजपत्रित कर्मचारियों को भी प्रदान किया जाए तथा मौजूदा राशन सहायता राशि एवं भोजन पैकेट भत्ते को राशन भत्ते में समायोजित समझा जाए ।

2. सरकार ने आयोग की उपर्युक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है । तदनुसार, राष्ट्रपति जी सहर्ष यह विनिश्चय करते हैं कि रेलों पर इस्पेक्टर ग्रेड-1 (6500-10500 रुपये) के रैंक तक के रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के अराजपत्रित कर्मचारी 1 अगस्त, 97 से 501/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से राशन भत्ते के पात्र होंगे ।

3. रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के अराजपत्रित कर्मचारियों को राशन भत्ता प्रदान करने हेतु शर्तें एवं निबंधन नीचे दिए गए अनुसार होंगे--

(क) रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के कर्मचारी पहले 60 दिनों के लिए पूर्ण दर पर तथा अगले 60 दिनों के लिए आधी दर पर औसत वेतन पर छुट्टी पर होने के दौरान राशन भत्ते के पात्र होंगे।

(ख) आन्तरिक सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के कर्मचारी केवल छ: माह की अधिकतम अवधि के लिए पूर्ण दरों पर राशन भत्ता पाने के पात्र होंगे।

(ग) यह राशन भत्ता आयकर की सीमा से मुक्त है तथा इस प्रकार प्राप्त किए जाने वाले तथा रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के अराजपत्रित कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले राशन भत्ते को, स्रोत पर काटी जाने वाली आयकरदायिताओं की गणना करने के प्रयोजन हेतु उनके सकल वेतन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

4. रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के अराजपत्रित कर्मचारियों को राशन भत्ता प्रदान किए जाने के परिणामस्वरुप 120/- रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से मौजूदा राशन सबसिडी एवं 7.50 रु. प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त ड्यूटी भत्ते को 1.8.97 से एक साथ समाप्त कर दिया जाएगा।

5. ये आदेश 1.8.97 से प्रभावी होंगे तथा कर्मचारियों को देय बकाये राशि की गणना की जाए एवं उनका वितरण किया जाए जो धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

6. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

7. कृपया पावती दें।

के जे अब्राहम

(के. जे. अब्राहम)
संयुक्त निदेशक,स्था.(वे.एवं भ.)
रेलवे बोर्ड

sagwan-1

स.ई (पी.एंड ए)1-98/ऑल/आर पी एफ/1 नई दिल्ली, दिनांक 1.4.98

प्रतिलिपि डी ए आई (रेलें)/नई दिल्ली को (100 अतिरिक्त प्रतियों सहित) अग्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

स.ई (पी.एंड ए)1-98/ऑल/आर पी एफ/1 नई दिल्ली, दिनांक 1.4.98

प्रतिलिपि अग्रेषित :-

1. महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर सीमा रेल (निर्माण), मु.प्र अ, दक्षिण रेल (निर्माण) एवं मध्य रेल (निर्माण)।
2. विसमुलेधि, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा रेल (निर्माण) एवं दक्षिण रेल (निर्माण)
3. महानिदेशक, अ अ मा सं/लखनऊ
4. महाप्रबंधक एवं विसमुलेधि मैट्रो रेल/कलकत्ता
5. मुख्य सुरक्षा आयुक्त, सभी भारतीय रेलें
6. कमांडेंट, रे.सु.वि.ब.
   नं.1. बटा.लमडिंग
   नं.2. बटा.गोरखपुर.
   नं.3. बटा.लखनऊ
   नं.4. बटा.न्यू जलपाईगुडी
   नं.5 बटा.तिरुचिरापल्ली
   नं.6. बटा. दयाबस्ती, दिल्ली
   नं.7. बटा.लमडिंग, असम
   नं.8. बटा. चितरंजन
7. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को उनके दिनांक 27.10.97 के पत्र सं.11-27011/93/97-पी एफ-1 के सन्दर्भ में
8. संयुक्त निदेशक (वित्त), अ अ मा सं, लखनऊ
9. वेतन एवं लेखा अधिकारी, रेल मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड)

sagwan-1

10. सम्पर्क अधिकारी,V सी पी सी, क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां/अ अ मा सं/मैट्रो रेल ।

(के. जे. अब्राहम)
संयुक्त निदेशक,स्था.(वे.एवं भ.)
रेलवे बोर्ड

स.ई (पी.एंड ए)1-98/ऑल/आर पी एफ/1 नई दिल्ली,दिनांक 1.4.98

प्रतिलिपि अग्रेषित :-

1. जनरल सेक्रेटरी, एन एफ आई आर (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. जनरल सेक्रेटरी, ए आई आर एफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. राष्ट्रीय परिषद (विभागीय परिषद) के सदस्य एवं सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि अग्रेषित :-

1. सेक्रेटरी जनरल, फ्रो
2. सचिव, आर बी एस एस ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन ।
3. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन ।
4. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ
5. अध्यक्ष, इंडियन रेलवे क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन ।
6. सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ ।
7. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टाफ एसोसिएशन ।

sagwan-1